कार्यालय कलेक्टर बैतूल, एवं पदेन उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

कमांक 49 अ–82/2019–20/1922 बैतूल दिनांक 13/02/2020

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	मल्हारा	2.986	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	मल्हारा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	बुधिया पति हिरालाल सा. देह	235/2	2.622	0.100
		239/1	0.183	0.083
2	हिरालाल पिता काशीराम गुंजन ज्योती डाली पिता नत्थू सा. देह	214/1	4.668	0.430
3	मधुबाला पिता गोकुलप्रसाद जाति कलार सा. देह.	214/2	0.245	0.150
		235/3	1.198	0.100
		240/4	0.783	0.133
4	रामदिन पिता रामाधार हिरालाल पिता काशीराम रेखा बेवा नत्थू रामदयाल शंकर शिवकुमार पिता नत्थू बेबी पिता नत्थू सा. देह	240/3	0.850	0.050
5	शान्ताबाइ पति फुस्या सा. देह	241/1	0.876	0.276

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जि हे.
1	2	3	4	5
6	फुस्या पिता सुरत सा. देह	237/3	0.640	0.550
		241/2	0.877	0.327
7	ओझा पिता सुग्गन रासु पिता सुग्गन सा. देह	242/2	0.093	0.046
8	धनजी पिता शंकर सा. देह	237/2	2.629	0.200
9	कला पिता श्यामू भागा पिता श्यामू गया पिता रामजी विजय सुरेन्द्र पिता रामजी संगीता प्रमिला पिता रामजी सा. देह	215/2	1.077	0.077
10	हिरालाल पिता काशीराम सा. देह	239/2	0.364	0.064
		246/3	1.820	0.400
योग			**18.925**	**2.986**

1— चूंकि मल्हारा लघु जलाशय के डूब क्षेत्र एवं पुनर्विस्थापन हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4— समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(तेजस्वी एस.नायक)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र0 क0 49 अ–82/ वर्ष 19–20/मौजा मल्हारा/ 1922 बैतूल, दिनांक 13/02/2020

प्रतिलिपि :–

1 – उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रनालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ ।

2 – संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित । कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रो में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतिया भी भेजने का कष्ट करे ।

3 – कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित् । अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतिया एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे ।

4 – जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट WWW.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित् ।

5 – प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित्। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाए तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे ।

6 – अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित् । प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाए तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे ।

7 – तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित् । प्रति कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल / ग्राम पंचायत पर चस्पा करवाए एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करे ।

8 – जिला जनसम्पर्क अधिकारी , बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषत् । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा(बैतूल को उपलब्ध करावे ।

अपर कलेक्टर
एवं प्र0अ0 भू–अर्जन, बैतूल